भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 2

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

सोमवार, 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत धनराशि का अल्प उपयोग

***2. श्री ससिकांत सेंथिल:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के क्रमिक चरणों के अंतर्गत लगातार आबंटित धनराशि के अल्प उपयोग की जानकारी है और यदि हां, तो इसके लिए किन-किन कारणों की पहचान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत विशेषकर राज्य और जिला स्तर पर धनराशि का समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीएमकेवीवाई के पूर्व में शुरू किए गए कार्यों के अंतर्गत सूचित कम नियोजन दरों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो रोजगार और स्व-रोजगार संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवारों की उद्योगों हेतु बेहतर योग्यता, मान्यता और रोजगारपरकता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन और प्रमाणन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए इन सुधारों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार प्रशिक्षण संबंधी विषय-वस्तु को रोजगार बाजार की वास्तविक मांग के अनुरूप बनाने के लिए उद्योग निकायों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और राज्य कौशल मिशनों के साथ संपर्क स्थापित कर रही है और यदि हां, तो ऐसे सहयोगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के तहत निधियों के कम उपयोग के संबंध में श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुन: कौशलीकरण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) लागू कर रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के क्रमिक चरणों के तहत वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	**पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16), पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20), पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) और पीएमकेवीवाई 4.0 (2022-26) के लिए वित्तीय प्रगति**			
	बजट अनुमान (क)	**संशोधित अनुमान (ख)**	**व्यय/ उपयोग (ग)**	**% उपयोग [(ग/ख)*100]**
2015-16	1,500.00	1,500.00	1335.00	89.00%
2016-17	1,100.00	1,249.99	699.99	56.00%
2017-18	1,300.00	1,723.19	1,719.08	99.76%
2018-19	1,984.34	1,946.45	1,909.19	98.09%
2019-20	2,116.00	1,749.22	1,613.26	92.23%
2020-21	1,350.50	1,534.39	1,514.76	98.72%
2021-22	1,438.00	1,438.00	1,043.04	72.53%
2022-23	1,442.00	739.26	233.26	31.55%
2023-24	1,558.00	920.00	510.52	55.49%
2024-25	1,938.30	1,538.00	1,538.00	100.00%
कुल	**15,727.14**	**14,338.50**	**12,116.10**	**84.50%**

पीएमकेवीवाई 4.0 योजना को नए युग, उद्योग-संरेखित और एकीकृत पाठ्यक्रमों को पेश करने के लिए फिर से उन्मुख किया गया था, जिसमें उभरती क्षेत्रीय जरूरतों के साथ नए डिजाइन, सत्यापन और संरेखण की आवश्यकता थी। इस परिवर्तन के दौरान, योजना को चरणों में लागू किया गया और अब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत धन का समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, एमएसडीई गुणात्मक कौशल के लिए एक अभिसरण-संचालित और प्राथमिकता-आधारित रणनीति लागू कर रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम,

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी) के साथ-साथ सीआईपीईटी और एनआईईएलआईटी जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के तहत संस्थानों के साथ-साथ प्रतिष्ठित उद्योग फाउंडेशनों को वितरण क्षमता को मजबूत करने के लिए शामिल किया जा रहा है। यह योजना सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, साइबर सुरक्षा, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ पर्यटन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री और निर्माण जैसे राज्य-विशिष्ट क्षेत्रों सहित नए युग और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में कौशल को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राज्य कार्य योजनाओं को समय पर प्रस्तुत करने के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के साथ और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्ण धन उपयोग सुनिश्चित करने के लिए त्वरित लक्ष्य आवंटन के लिए उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(ग) पीएमकेवीवाई स्कीम के तहत, स्कीम के पहले तीन संस्करणों अर्थात, पीएमकेवीवाई 1.0, 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था। पीएमकेवीवाई के इन संस्कारण में, एसटीटी में प्रमाणित 56.89 लाख अभ्यर्थियों में से 24.3 लाख अभ्यर्थियों के नियोजन की सूचना मिली है, जिससे समग्र नियोजन दर 42.8% हो गई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जो वित्त वर्ष 2022-23 से लागू हो रहा है, विशेष ध्यान हमारे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ऑन-जॉब ट्रेनिंग के ज़रिए अपने अलग-अलग करियर मार्ग चुनने में मदद करना है और उन्हें इसके लिए सही तरीके से तैयार करना है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में कई राज्यों में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखा गया था और आरपीएल घटक के तहत अभिविन्यस्त किया गया था, उन्हें उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) ने पीएमकेवीवाई का एक तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भी किया था। मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70.5% अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के कौशल क्षेत्र में नियोजन प्राप्त हुआ।

सरकार रोजगार और स्व-रोज़गार परिणामों में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें शामिल हैं:

i. उद्योग 4.0, वेब 3.0,एआर/वीआर जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकॉनमी और एनर्जी परिवर्तन जैसे नए युग के कौशलों पर विशेष ध्यान।
ii. मूल्यांकन में नवाचारों और बेहतर निगरानी के माध्यम से पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) के तहत पुनः कौशलीकरण और कौशलोन्नयन पर जोर।
iii. अभ्यर्थियों को बेहतर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) पर ज़्यादा विश्वास।
iv. उद्योग के साथ साझेदारी में पाठयक्रम शुरू करके पाठयक्रम पाठयचर्या में लचीलापन।
v. शैक्षिक संस्थान एजुकेशनल जैसे आईटीआई/स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/केन्द्रीय और राज्य सरकार के संस्थान वगैरह के साथ मौजूद अवसरंचना का पारस्परिक उपयोग।
vi. सेमीकंडक्टर, 5जी, एआई ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सोलर मिशन, परिचर्या, पर्यटन जैसे क्षेत्रों के समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीति घोषणाओं के अनुरूप प्रशिक्षण।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है। एसआईडीएच के माध्यम से स्पष्ट समयसीमा, स्वचालित वर्कफ़्लो और अनुपालन तंत्र को एकीकृत करके, एसओपी की उद्योग की जरूरतों के साथ अनुरूप संचालन को सुव्यवस्थित करता है। ये मानकीकृत प्रक्रियाएं उम्मीदवार के अनुभव को बेहतर बनाती हैं और गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करती हैं। नियमित निगरानी और अद्यतन सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास और रोजगार के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 की प्रतिबद्धता को सशक्त करेंगी।

इसके अलावा, प्रमाणन की विश्वसनीयता और उद्योग प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमकेवीवाई एक कठोर प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें अभिविन्यास, तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मानकीकृत मूल्यांकन और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्तरों के साथ संरेखित डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है। प्रमाणपत्र क्यूआर कोड के साथ अंतर्निहित होते हैं और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (सिद्ध) के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिससे नियोक्ताओं द्वारा वास्तविक समय में सत्यापन संभव हो जाता है। अवार्डिंग बॉडीस और उद्योग निकायों के परामर्श से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विकसित किए जाते हैं। कार्यान्वयन की गुणवत्ता पता लगाने के लिए सतत निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) प्रणालियाँ मौजूद हैं। ये कदम मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि नियोक्ता को प्रमाणन भरोसेमंद लगें और यह उद्योग स्वीकृत मानकों को पूरा करें।

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में गुणात्मक रूप से सुधार करने के लिए, एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई 4.0 के पारदर्शी, जवाबदेह और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित और बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित की है। एक

मजबूत डिजिटल आधार पर आश्रित- ईकेवाईसी और आधार-आधारित प्रमाणीकरण पर आधारित- सभी हितधारकों की सुरक्षित समावेशिता (ऑनबोर्डिंग) को सक्षम बनाता है, जबकि चेहरे के प्रमाणीकरण और जियो-टैग किए गए रिकॉर्ड सहित आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति, प्रशिक्षण गतिविधियों का वास्तविक समय सत्यापन सुनिश्चित करता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म नामांकन से लेकर प्रशिक्षण के बाद के परिणामों तक पूरे उम्मीदवार के जीवनचक्र को ट्रैक करता है और डेटा-संचालित निर्णयों के लिए एकीकृत डैशबोर्ड प्रदान करता है। निगरानी को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कौशल समीक्षा केंद्र की स्थापना की है, जो निरंतर विर्चुअल समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निर्देशित राज्य और जिला समन्वयकों और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा जियो-टैग्ड मॉनिटरिंग ऐप निरीक्षण के माध्यम से भौतिक निरीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(ड.) सरकार वास्तविक समय की नौकरी बाजार की मांगों के साथ प्रशिक्षण सामग्री को अनुरूप करने और उद्योगों, एमएसएमई समूहों, व्यापार संघों, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौशल मिशनों के साथ मांग संचालित कौशल और घनिष्ठ सहयोग करके पीएमकेवीवाई के तहत रोजगार योग्यता संबंधों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें कौशल अंतर अध्ययन के माध्यम से मांग मानचित्रण, जिला कौशल विकास योजनाएं (डीएसडीपी), और उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण डिजाइन करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के साथ सक्रिय सहयोग शामिल हैं। प्रमुख प्रयासों में क्षेत्र-विशिष्ट मांगों और चुनौतियों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उद्योग परामर्श आयोजित करना, उच्च-मांग वाले और उभरते/नए युग के कौशल क्षेत्रों की पहचान करना और अवार्डिंग बॉडीस के रूप में उद्योगों को शामिल करना सम्मिलित है। वास्तविक समय की नौकरी बाजार की मांगों के साथ प्रशिक्षण सामग्री को संरेखित करने के लिए, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत विभिन्न उद्योगों/उद्योग निकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों को शामिल किया जा रहा है।

*****